**भारत सरकार**

**शिक्षा मंत्रालय**

**स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग**

**लोक सभा**

**तारांकित प्रश्न संख्या-24**

उत्तर देने की तारीख-02/02/2026

**कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की स्थिति**

†*24. **श्री राजा राम सिंहः**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विगत दस वर्षों के दौरान कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों (केजीबीवी) के लिए राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार और वर्ष-वार कितनी धनराशि आवंटित और जारी की गई है;
(ख) विगत दस वर्षों के दौरान देश में कार्यशील और गैर-कार्यशील कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों का ब्यौरा क्या है और उनकी संख्या कितनी है तथा उनमें राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार और श्रेणी-वार (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक/सामान्य) कितनी छात्राएं नामांकित हैं;
(ग) विगत दस वर्षों के दौरान इन कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में अवसंरचना संबंधी चुनौतियों का समाधान करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है और क्या इस संबंध में किसी समिति का गठन किया गया है, कोई दिशानिर्देश अथवा विशेष निधियां जारी की गई हैं तथा तत्संबंधी की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदनों का ब्यौरा क्या है; और
(घ) विगत दस वर्षों के दौरान देश में प्रत्येक कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय को राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितनी धनराशि आवंटित की गई है और उनकी संकाय सदस्यों की भर्ती, स्वीकृत बनाम भरे हुए पद और छात्रावास क्षमता कितनी है?

**उत्तर**

**शिक्षा मंत्री**

**(श्री धर्मेंद्र प्रधान)**

(क) से (घ): विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

*****

**कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की स्थिति के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री राजा राम सिंह द्वारा दिनांक 02.02.2026 को पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 24 के (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण**

(क) से (घ): कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी) सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित समूहों (एसईडीजी) जैसे अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों (ईबीबी) में अन्य से संबंधित लड़कियों के लिए आवासीय विद्यालय हैं। इस योजना का उद्देश्य एसईडीजी से बालिकाओं के लिए गुणवत्तापरक शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करना और आवासीय सुविधाओं के साथ आवासीय स्कूलों की स्थापना करके प्रारंभिक से वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर लैंगिक अंतर को कम करना है।

वर्ष 2018-19 में, सर्व शिक्षा अभियान के केजीबीवी घटक और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) के गर्ल्स हॉस्टल घटक को समग्र शिक्षा के तहत केजीबीवी के रूप में मिला दिया गया था, जिससे सभी छात्रावासों को एक ही ढांचे में लाया गया था। समग्र शिक्षा में सभी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों को बारहवीं कक्षा तक उन्नत करने की परिकल्पना की गई है।

समग्र शिक्षा के तहत सरकारी स्कूलों में बुनियादी ढांचे और अन्य बुनियादी सुविधाओं के निर्माण में सहायता की जाती है। इस संबंध में, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उनकी आवश्यकताओं के आधार पर वार्षिक कार्य योजना और बजट (एडब्ल्यूपी एंड बी) तैयार किया जाता है। इसके बाद इन योजनाओं का मूल्यांकन/अनुमोदन राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के परामर्श से योजना के कार्यक्रम संबंधी और वित्तीय मानदंडों और बजटीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार किया जाता है। स्वीकृत एडब्ल्यूपीएंडबी के आधार पर, समग्र शिक्षा के तहत केंद्रीय हिस्सा संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को एकमुश्त जारी किया जाता है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के लिए निधियां समग्र शिक्षा के एक घटक के रूप में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की जाती हैं।

शिक्षा भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है और बहुसंख्य स्कूल राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के अधिकार क्षेत्र में हैं। इसलिए, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय शिक्षकों की भर्ती और अन्य सेवा मामले राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं और रिक्तियों को भरा जाना एक सतत् प्रक्रिया है। तथापि, समग्र शिक्षा के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में कक्षा-कक्षों, पुस्तकालयों, शौचालयों, चारदीवारी, प्रमुख मरम्मत, पेयजल, स्कूल की दीवारों पर पेंटिंग, फर्नीचर की आपूत आदि जैसी अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण के लिए सहायता प्रदान की जाती है।

वर्ष 2018-19 से 2025-26 तक कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों (केजीबीवी) के लिए स्वीकृत निधि का राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा **अनुलग्नक-I में दिया गया है**।

दिनांक 27.01.2026 तक की स्थिति के अनुसार नामांकित लड़कियों की श्रेणी-वार संख्या के साथ-साथ अनुमोदित और कार्यात्मक केजीबीवी की संख्या का राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा **अनुलग्नक-II में है**।

*****

**अनुलग्नक-I**

**कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की स्थिति के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री राजा राम सिंह द्वारा दिनांक 02.02.2026 को पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 24 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक**

वर्ष 2018-19 से 2025-26 तक कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों (केजीबीवी) के लिए स्वीकृत निधि का राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा:

| वर्ष 2018-19 से वर्ष 2025-26 तक केजीबीवी के लिए अनुमोदित राज्य-वार निधियां | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | *(रु. लाख में)* |
| **क्र. सं.** | **राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र के नाम** | **2018-19** | **2019-20** | **2020-21** | **2021-22** | **2022-23** | **2023-24** | **2024-25** | **2025-26** |
| 1 | आंध्र प्रदेश | 33771.29 | 47248.16 | 36434.16 | 32980.87 | 65409.24 | 74997.59 | 43642.73 | 46410.07 |
| 2 | अरुणाचल प्रदेश | 4116.16 | 3988.64 | 6996.93 | 3920.51 | 6010.94 | 8420.2 | 13574.37 | 5322.86 |
| 3 | असम | 7095.59 | 6927.69 | 7865.79 | 6803.26 | 12060.24 | 14868.24 | 10154.74 | 11131.65 |
| 4 | बिहार | 34196.4 | 30873.57 | 37934.56 | 20270.42 | 25063.88 | 37582.13 | 42347.65 | 43393.39 |
| 5 | छत्तीसगढ़ | 6866 | 6701.58 | 4997.96 | 5180.66 | 8745.06 | 5936.15 | 9244.54 | 6570.25 |
| 6 | दमन और दीव-दादरा और नगर हवेली | 58.47 | 53.34 | 85.69 | 38.44 | 68.98 | 85.32 | 88.57 | 93.35 |
| 7 | गुजरात | 6382.18 | 7082.17 | 6951.26 | 6007.05 | 15150.3 | 23869.99 | 15258.37 | 11912.67 |
| 8 | हरियाणा | 6145.18 | 3701.92 | 3404.19 | 2342.64 | 6590.62 | 3634.7 | 5041.61 | 5273.65 |
| 9 | हिमाचल प्रदेश | 532.89 | 512.11 | 416.7 | 405.19 | 602.96 | 607.99 | 1093.56 | 754.24 |
| 10 | जम्मू और कश्मीर | 12564.32 | 5464.3 | 5233.91 | 3810.84 | 4487.72 | 6513.9 | 6162.51 | 5861.43 |
| 11 | झारखंड | 15685.33 | 20292.64 | 19138.88 | 15954.84 | 20128.52 | 19801.23 | 20283.35 | 20283.35 |
| 12 | कर्नाटक | 5352.12 | 5893.22 | 6716.26 | 4658.67 | 7183.32 | 9875.35 | 7264.52 | 8432.28 |
| 13 | केरल | 0 | 0 | 0 | 29.48 | 39.81 | 39.73 | 39.73 | 39.73 |
| 14 | लद्दाख | 1733 | 581.02 | 436.27 | 385.07 | 568.7 | 644.3 | 705.57 | 527.96 |
| 15 | मध्य प्रदेश | 18961.05 | 25318.36 | 13976.75 | 12018.13 | 22484.99 | 24327.68 | 24804.16 | 22935.28 |
| 16 | महाराष्ट्र | 3519.33 | 5040.15 | 2841.4 | 2386.57 | 4209.65 | 5254.83 | 4299.3 | 4334.36 |
| 17 | मणिपुर | 706.63 | 829.42 | 1082.19 | 1698.77 | 2785.28 | 1130.4 | 1112.44 | 1093.29 |
| 18 | मेघालय | 384.34 | 391.28 | 345.9 | 445.29 | 667.97 | 790.28 | 543.37 | 725.57 |
| 19 | मिजोरम | 66.45 | 57.71 | 53.31 | 49.89 | 49.53 | 307.44 | 102.97 | 434.45 |
| 20 | नागालैंड | 414.64 | 506.83 | 408.32 | 500.37 | 856.35 | 1243.41 | 910.89 | 1088.19 |
| 21 | ओडिशा | 19057.2 | 24561.99 | 13729.23 | 11172.74 | 27614.48 | 29228.07 | 23554.85 | 23045.56 |
| 22 | पंजाब | 1075.47 | 2238.55 | 1104.46 | 1005.59 | 1417.93 | 1452.97 | 1882.02 | 1585.2 |
| 23 | राजस्थान | 20062.9 | 21635.26 | 18320.36 | 13439.92 | 24111.84 | 28201.74 | 25855.1 | 22433.48 |
| 24 | सिक्किम | 80.01 | 84.6 | 76.33 | 68.6 | 248.59 | 90.09 | 100.99 | 92.1 |
| 25 | तमिलनाडु | 3881.61 | 4779.6 | 4390.62 | 4399.92 | 5254.81 | 5335.69 | 5789.1 | 6017.41 |
| 26 | तेलंगाना | 48791.19 | 70416.69 | 58260.06 | 33447.82 | 57042.18 | 63152.61 | 65461.38 | 55777.94 |
| 27 | त्रिपुरा | 482.92 | 563.34 | 1187.07 | 694.8 | 865.83 | 817.07 | 981.22 | 1916.64 |
| 28 | उत्तर प्रदेश | 45092.72 | 106109.67 | 46952.25 | 50649.4 | 55378.94 | 172494.04 | 114408.53 | 130732.63 |
| 29 | उत्तराखंड | 1557.84 | 1698.6 | 1672.9 | 1809.63 | 2254.54 | 2217.55 | 3882.82 | 3632.64 |
| 30 | पश्चिम बंगाल | 3303.79 | 4967.55 | 3690.6 | 6800.13 | 6122.55 | 5284.95 | 6547.07 | 7964.13 |
| **कुल** | | **301937.02** | **408519.92** | **304704.31** | **243375.5** | **383475.78** | **548205.62** | **455138.02** | **449815.75** |
| **स्रोत: प्रबंध** | | | | | | | | | |

**अनुलग्नक-II**

**कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की स्थिति के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री राजा राम सिंह द्वारा दिनांक 02.02.2026 को पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 24 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक**

दिनांक 27.01.2026 तक की स्थिति के अनुसार नामांकित लड़कियों की श्रेणी-वार संख्या के साथ-साथ अनुमोदित केजीबीवी की संख्या का राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा:

| केजीबीवी की स्थिति | | | | श्रेणीवार नामांकन | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम | स्वीकृत कुल केजीबीवी | कुल कार्यात्मक केजीबीवी | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जन जाति | अन्य पिछड़ा वर्ग | अन्य | कुल |
| 1 | आंध्र प्रदेश | 587 | 546 | 29825 | 12529 | 52036 | 9343 | 103733 |
| 2 | अरुणाचल प्रदेश | 82 | 78 | 0 | 8993 | 0 | 0 | 8993 |
| 3 | असम | 162 | 151 | 985 | 7846 | 4229 | 8107 | 21167 |
| 4 | बिहार | 727 | 683 | 32344 | 6336 | 22152 | 4606 | 65438 |
| 5 | छत्तीसगढ़ | 121 | 121 | 2289 | 12637 | 3427 | 18533 | 36886 |
| 6 | दमन और दीव-दादरा और नगर हवेली | 2 | 2 | 0 | 148 | 0 | 0 | 148 |
| 7 | गुजरात | 170 | 168 | 1928 | 4791 | 7594 | 5226 | 19539 |
| 8 | हरियाणा | 72 | 65 | 837 | 0 | 445 | 576 | 1858 |
| 9 | हिमाचल प्रदेश | 14 | 14 | 355 | 142 | 12 | 399 | 908 |
| 10 | जम्मू और कश्मीर | 176 | 94 | 376 | 2020 | 626 | 5510 | 8532 |
| 11 | झारखंड | 203 | 203 | 10394 | 27810 | 21509 | 11337 | 71050 |
| 12 | कर्नाटक | 146 | 145 | 4390 | 2178 | 4053 | 3843 | 14464 |
| 13 | केरल | 1 | 1 | 6 | 28 | 8 | 38 | 80 |
| 14 | लद्दाख | 20 | 15 | 0 | 428 | 0 | 106 | 534 |
| 15 | मध्य प्रदेश | 408 | 408 | 11518 | 15702 | 10421 | 19630 | 57271 |
| 16 | महाराष्ट्र | 86 | 85 | 1369 | 3289 | 2024 | 1309 | 7991 |
| 17 | मणिपुर | 12 | 12 | 112 | 1269 | 535 | 211 | 2127 |
| 18 | मेघालय | 19 | 10 | 0 | 900 | 0 | 0 | 900 |
| 19 | मिजोरम | 2 | 2 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 |
| 20 | नागालैंड | 22 | 22 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 21 | ओडिशा | 355 | 324 | 10283 | 18335 | 11168 | 1213 | 40999 |
| 22 | पंजाब | 29 | 29 | 2584 | 0 | 313 | 294 | 3191 |
| 23 | राजस्थान | 316 | 316 | 16409 | 13467 | 10207 | 2312 | 42395 |
| 24 | सिक्किम | 1 | 1 | 10 | 72 | 72 | 2 | 156 |
| 25 | तमिलनाडु | 105 | 105 | 2643 | 2467 | 4568 | 33 | 9711 |
| 26 | तेलंगाना | 736 | 721 | 31036 | 29810 | 74572 | 6353 | 141771 |
| 27 | त्रिपुरा | 15 | 15 | 33 | 1813 | 34 | 0 | 1880 |
| 28 | उत्तर प्रदेश | 841 | 783 | 43171 | 1493 | 32195 | 9287 | 86146 |
| 29 | उत्तराखंड | 40 | 39 | 1819 | 457 | 1026 | 713 | 4015 |
| 30 | पश्चिम बंगाल | 169 | 158 | 1581 | 1799 | 949 | 1826 | 6155 |
| **कुल** | | **5639** | **5316** | **206297** | **177009** | **264175** | **110807** | **758288** |
| **स्रोत: प्रबंध** | | | | | | | | |

*****